



कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश

नर्मदा मार्ग, रामपुर चौराहे के आगे, जबलपुर मध्यप्रदेश



कौशल बलम

Ph: +91-761-2661021 | Web: www.mpskills.gov.in | Android App: KOUSHALAM | Facebook: Mapskills | Twitter: Map_Skills

-: आदेश :-

जबलपुर, दिनांक: ०१/०९/२०२५

क्रमांक कौविसं./स्थाप-प्र/सामा-249/2025/४०६६

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल

द्वारा आयोजित प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत मेन्टेनेंस मैकेनिक पद के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के राजपत्र दिनांक 11 जनवरी 2010 एवं संशोधन दिनांक 31 मई 2018 में प्रकाशित नियम 4 ख “आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबन्ध” अनुसार बैगा, सहारिया, भारिया विशेष आदिम जनजाति के उम्मीदवारों से संचालनालय में प्राप्त आवेदन अनुसार, प्राप्तांकों की मेरिट सूची के आधार पर निम्नलिखित चयनित उम्मीदवारों को उनके अभिलेखों के परीक्षणोंपरांत एवं पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने की प्रत्याशा में मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी अलिपिकवर्गीय संवर्ग (तकनीकी) में मेन्टेनेंस मैकेनिक के पद पर वेतनमान 22100-70000 एवं अन्य भत्ते जो राज्य शासन द्वारा मान्य है, पर तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक के लिए निम्न शर्तों पर नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है:-

- परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायर्पेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
- परीक्षा अवधि में उनकी सेवाएँ कभी भी बिना कारण बताए एवं बिना नोटिस दिए समाप्त की जा सकेगी।
- कार्यग्रहण करने के उपरांत यदि स्वयं की इच्छा से सेवायें छोड़ना चाहते हैं तो एक माह पूर्व नोटिस या एक माह का पूर्ण वेतन देना होगा। इसी तरह यदि विभाग सेवायें समाप्त करता है तो विभाग एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन भुगतान कर सेवायें समाप्त कर सकेगा।
- कार्यग्रहण के समय जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना होगा।
- यदि किसी उम्मीदवार का दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़ा वर्ग से संबंधित जाति प्रमाण पत्र या नियुक्ति संबंधी अन्य कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से बिना नोटिस दिये समाप्त की जा सकेगी और उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा।
- यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। कार्यग्रहण के समय इस हेतु आपको संलग्न प्रारूप पर शपथ पत्र संबंधित संस्था/कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा।
- इन उम्मीदवारों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित उम्मीदवारों के अंतिम उम्मीदवार के ठीक नीचे निर्धारित की जावेगी। इनकी आपसी वरिष्ठता इनके चयन हेतु प्राप्तांकों की मेरिट अनुसार निर्धारित की जावेगी।
- मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के तहत 01.01.2005 के उपरांत नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारियों को अंशदान पेंशन योजना लागू

[Signature]

होगी। म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे तथा म.प्र. सामान्य भविष्य निधि लागू नहीं होंगे।

9. उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के अंदर संबंधित संस्था में कार्यग्रहण करना अनिवार्य है। एक माह की अवधि में उपस्थित न होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
10. यह नियुक्ति मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत रिट याचिका डब्ल्यू.पी. 4642/2023 शिवानी मरकाम व अन्य विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।
11. यह नियुक्ति मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत रिट याचिका डब्ल्यू.पी. 26876/2024 खीर सिंह धुर्वे व अन्य विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

क्र	उम्मीदवार का नाम पिता/पति का नाम एवं पता	पद का नाम	योग्यता डिग्री/ डिप्लोमा/ आईटीआई	आरक्षित/ अनारक्षित	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम जहां पदस्थापना की गई है
1	2	3	4	5	6
1	बबीता पुत्री श्री मंगल भारती मु.ग्राम दलेल बखारी पो.तामिया जिला छिन्दवाड़ा	मैटेनेंस मैकेनिक	आईटीआई इलेक्ट्रिशियन	भारिया	ग्वालियर
2	मोहन सिंह आदिवासी पुत्र मुलायम सिंह, ग्राम बक्सनपुर पोस्ट नावली तह- पिछोर जिला शिवपुरी पिनकोड़-473670	मैटेनेंस मैकेनिक	आईटीआई इलेक्ट्रिशियन	सहरिया	जबलपुर
3	निकिता आदिवासी पुत्री पचोरी आदिवासी ग्राम हाथीगढ़ा हरनगर पोस्ट चक्ककमलपुर शिवपुरी पिनकोड़- 473551	मैटेनेंस मैकेनिक	आईटीआई इलेक्ट्रिशियन	सहरिया	सागर



संचालक

कौशल विकास मध्यप्रदेश

/जबलपुर, दिनांक ०१/०९/२०२५


क्रमांक कौविसं/स्थाप-प्र/सामा-249/2025/ ५०६७

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, भोपाल।
4. समस्त संयुक्त संचालक, कौशल विकास, क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मध्यप्रदेश। चयनित उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति आदेश की कंडिका 6 में दर्शाये अनुसार पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र एवं अनुप्रमाणन फार्म तीन प्रतियों में पूर्ण रूप से भरवाकर प्राप्त करें और उनके स्थाई/अस्थाई निवास तथा शिक्षा प्राप्त करने के दौरान निवासरत अवधि का पुलिस चरित्र सत्यापन कराये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक को अनुप्रमाणन फार्म एवं शपथ

पत्र भेंजे। पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संचालनालय को मूलतः भेंजे। उम्मीदवार के कार्यग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक, जाति, मूल निवासी एवं अन्य प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्राप्त करें। उम्मीदवार के डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण होने की स्थिति में समस्त सेमेस्टर की अंकसूची की सत्यापित प्रति प्राप्त करें। संबंधित के कार्यग्रहण प्रतिवेदन, व्यक्तिगत विवरण एवं प्रमाण पत्रों की एक-एक प्रमाणित प्रति संचालनालय को भेंजें। अनुप्रमाणन फार्म एवं शपथ पत्र का प्रारूप संचालनालय की बेवसाइट www.mpskills.gov.in पर उपलब्ध है।

6. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
7. संबंधित उम्मीदवार को सूचनार्थ। निर्देशित किया जाता है कि आप अपने शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं सत्यापित छायाप्रति तथा पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म पूर्ण रूप से भरकर शपथ पत्र सहित संबंधित संस्था के प्राचार्य/संस्था प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यग्रहण करें। आपको आदेश जारी होने के एक माह के अंदर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
8. स्टेनो संचालक/अतिरिक्त संचालक एवं संयुक्त संचालक कौशल विकास संचालनालय म.प्र. जबलपुर।
9. अधीक्षक/स्थापना/गोपनीय/बजट/पदक्रम सूची अनुभाग, कौशल विकास संचालनालय म.प्र. जबलपुर।


अतिरिक्त संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश